बिहार विधान परिषद्

185वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग – 3

बुधवार, तिथि — 10 फाल्गुन, 1938 (श.) / 01 मार्च, 2017 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 08

1.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	-	-	01
2.	सहकारिता विभाग	-	-	01
3.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	-	-	01
4.	सामान्य प्रशासन विभाग	-	-	01
5.	पर्यटन विभाग	-	-	01
6.	नगर विकास एवं आवास विभाग	-	-	03
			कुल योग –	08

पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई नहीं

21. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत तुरकौलिया प्रखंड के एम.ओ. (विपणन पदाधिकारी), आपूर्त्ति विभाग में पदस्थापित हैं;

(ख) क्या यह सही है कि एम.ओ., अजय कुमार दीपक द्वारा भ्रष्टाचार एवं कालाबाजारी को बढ़ावा देने के लिए एक पंचायत से अनाज काटकर दूसरे पंचायत में जबकि पंचायत के यूनिट से ज्यादा अनाज का आवंटन डीलरों से मोटी रकम लेकर माह जुलाई से अक्टूबर तक तथा फिर दिसम्बर, 2016 तक किया गया है जो आपूर्त्ति विभाग के नियम के विरुद्ध है और इस तरह कालाबाजारी एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त एम.ओ. कभी बाहर से कमिटी आने, तो कभी कमिश्नर को तो कभी जिलाधिकारी के नाम पर प्रखंड के 70 डीलरों से 5-10 हजार रु. लेते हैं तथा सेना दिवस के नाम पर भी सभी डीलरों से प्रति डीलर 1700 रु. लिया गया है;

(घ) क्या यह सही है कि इनके द्वारा पी.डी.एस. डीलरों से स्टॉक रजिस्टर एवं सेल रजिस्टर खोलने के लिए वर्ष 2017 के लिए प्रति डीलर 2500/- रु. लिया जा रहा है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूर्वी चम्पारण जिला के तुरकौलिया प्रखंड के एम.ओ.(विपणन पदाधिकारी) पर विभागीय कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

आकलन से धान खरीद

22. **श्री मंगल पाण्डेय** : क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि धान खरीद की पारदर्शिता के लिए पहली बार किसानों से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि धान खरीदने का आदेश 15 नवम्बर को जारी किया गया। राज्य सरकार ने धान खरीद के लिए सात सौ करोड़ रुपये का भी आवंटन किया परंतु निबंधन की अनिवार्यता के कारण धान खरीद में काफी परेशानी हो रही है;

(ग) क्या यह सही है कि अभी तक निबंधन के लिए 273375 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें पूर्ण आवेदन 154307 हैं, अभी तक 11846.91 मैट्रिक टन ही धान खरीद 1701 किसानों से की गयी जो निर्धारित मात्रा से काफी कम है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार धान खरीद के निर्धारित आकलन के अनुसार धान खरीद का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण मुक्त करते हुए राजस्व में वृद्धि

23. **श्री लाल बाबू प्रसाद** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार में तालाबों, जलकरों, नदियों, आद्रभूमि, चेंबर, मन आदि का अतिक्रमण कई वर्षों से किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में मछली उत्पादन में आत्मनिर्भरता हेतु उक्त अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराना आवश्यक है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार द्वारा राज्य के सभी तालाबों एवं अन्य को अतिक्रमण मुक्त करते हुए राज्य के राजस्व में वृद्धि हेतु कौन-सी कार्रवाई अबतक की गई है;

मेधावी अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं

24. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर नियमित नहीं है, जिससे सूबों के शिक्षित बेरोजगार युवा-युवतियां हताश हैं;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया काफी जटिल एवं शिथिल है, जिसके कारण हजारों युवाओं एवं युवतियों की उम्र सीमा 37 वर्ष खत्म हो जाती है और बेरोजगार मेधा कुंठित हो रही है;

(ग) क्या यह सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने 60वीं से 62वीं परीक्षा के लिए आयु की गणना 1 अगस्त, 2014 रखी है, जिससे राज्य के अधिकतर मेधावी छात्रों की अधिकतम उम्र सीमा समाप्त हो गई है और वे इस प्रतिष्ठित परीक्षा में बैठने से वंचित हो गये हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में प्रतियोगिता परीक्षाओं के कैलेंडर को नियमित करने तथा लोक सेवा आयोग की आयोजित होने वाली परीक्षा में आयु की गणना को शिथिल कर मेधावी अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का अवसर देने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

रोपवे निर्माण में विलम्ब

25. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गया शहर की ब्रह्मयोनी पहाड़ी, रामशिला पहाड़ी एवं प्रेतशिला पहाड़ी को देखने तथा इन पर श्राद्ध अर्पण करने प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक देश-विदेश से आते हैं, लेकिन उक्त पहाड़ी पर रोपवे का निर्माण नहीं हो पाया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पहाड़ियों पर रोपवे का प्रस्ताव होने के बावजूद रोपवे का निर्माण कराये जाने के लिए तैयार हुई फाइलें अफसरों के टेबलों के बीच चक्कर काट रही हैं;

(ग) क्या यह सही है कि रोपवे का निर्माण नहीं होने से पर्यटकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रोपवे का प्रस्ताव होने के बावजूद निर्माण में हो रही देरी के लिए अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

पी.सी.सी. ढलाई एवं नाला का निर्माण

26. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत सिपारा में न्यू एतवारपुर ढलाई रोड में नरेश ठाकुर के घर के बगल से संतोष जी के मकान होते हुए शिवशंकर भगत बिहारी लाल के घर के आगे तक कच्ची सड़क एवं नाला नहीं रहने के कारण हमेशा जलजमाव की स्थिति बनी रहती है;

(ख) क्या यह सही है कि इस मुहल्ला के निवासियों द्वारा कई बार संबंधित पदाधिकारियों को पी.सी.सी. सड़क निर्माण कराने के संबंध में आवेदन दिया गया किन्तु आज तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(ग) क्या यह सही है कि जलजमाव रहने के कारण इस मुहल्ला में कई बार संक्रामक रोग फैल चुका है और कई लोग मौत की गोद में समा चुके हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार न्यू एतवारपुर ढलाई रोड में नरेश ठाकुर के घर के बगल से संतोष जी के मकान होते हुए शिवशंकर भगत बिहारी लाल के घर के आगे तक पी.सी.सी. ढलाई एवं नाला का निर्माण करने का निदेश देना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

मूलभूत सुविधा की कमी

27. **डा. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि दरभंगा मे आश्रयविहीन लोगों के रात्रि विश्राम के लिए तीन रैन बसेरा हैं;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त रैन बसेरा में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है जिसके कारण लोगों को प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दरभंगा स्थित रैन बसेरा को मूलभूत सुविधा प्रदान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

न्यायसंगत कार्रवाई

28. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत की घनी आबादी वाले शहरों में गृह निर्माण की सामग्री बालू, गिट्टी एवं अन्य गृह निर्माण सामग्री बीच सड़क पर ही जमा रखने से शहरों में दुर्घटनाओं में काफी वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम में बीच सड़क पर गृह निर्माण की सामग्री लगभग अधिकांश सड़कों पर देखी जा रही है;

(ग) क्या यह सही है कि कहीं-कहीं सड़क पर बालू-गिट्टी को जमा कर बिक्री भी की जाती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सभी निकायों की घनी आबादी वाले शहरों में गृह निर्माण सामग्री जमा करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायसंगत कार्रवाई करना चाहती है?

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्

पटना
दिनांक : 01 मार्च, 2017